

न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर मुजफ्फरनगर।

दिनांक 12/07/1995/65621 सन् 2022-23
विषय छपार
आयुष्मान आरुखान

तहसीलदार सदर
जिला मुजफ्फरनगर
आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अध्यक्ष आयुष्मान टस्ट गुरुकुल नाररान तहसीलदार के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार सदर की आख्या दिनांक 22/07/2022 प्राप्त होने पर प्रारम्भ की गई। उक्त प्रार्थना पत्र में वादी अध्यक्ष आयुष्मान टस्ट गुरुकुल नाररान तहसीलदार के खाता नम्बर 1076 के नम्बर खसरा 507/0.4610 हैक्टेयर का एक व हिरसा 1400/4610 भाग यानि 0.1400 हैक्टेयर व खाता नम्बर 932 के नम्बर खसरा 506/0.1950 हैक्टेयर दरौबरत व खाता संख्या 1110 के नम्बर खसरा 561/0.2660 हैक्टेयर व खाता संख्या 1108 के नम्बर खसरा 562/0.0720 हैक्टेयर व खाता संख्या 1110 का खसरा नं 562/0.0720 हैक्टेयर कुल 3 विन्ड कुल 0.6450 हैक्टेयर का एक व हिरसा 2800/6450 भाग यानि 0.2800 हैक्टेयर भागानुसार कुल क्षेत्र अर्थात् हैक्टेयर के नाम बतौर संकमणीय भूगिर अंकित है। उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है तथा गौके पर वारदीवारी बनी हुई। लोहे का गेट लगा हुआ है। भविष्य में भी उक्त भूमि में कृषि कार्य की संभावना नहीं है। उक्त भूमि को धारा 143 जति0अधि0 के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित करने की तरफ ही की गयी है। तहसीलदार के द्वारा अपनी आख्या के साथ नियम 143 के अंतर्गत भी प्रस्तुत भूमि को जिरामे पश्चात् तहसीलदार पर कृषि कार्य व किराजाना का उल्लेख किया गया है।

वाद दर्ज कर सबमिशन को नोटिस जारी किया गया। वादी द्वारा जिला न्यायाधिकारी को संप्रतिपत्त लेकर अपने बयान अंकित करवाये गये जिरामे उनके द्वारा अपनी प्रार्थना पत्र में उक्त भूमि को संप्रतिपत्त किया गया।

जैसे पशुवली एवं पशुवली भूअभिलेखों का अवलोकन जिला न्यायाधिकारी के द्वारा जिरामे पश्चात् भूमि को संप्रतिपत्त करवाया गया है और उक्त भूमि प्राणी के नाम अर्थात् आधुनिक पशुवली व शकमणीय भूमि अंकित है। उक्त भूमि वर्तमान में कृषि कार्य पशुपालन, मत्स्य पालन, कुकुर पालन बागवानी आदि कार्य में प्रयोग नहीं हो रही है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि को जमींदारी विभागा अधि0 की धारा 143 के अन्तर्गत अकृषिक उद्घोषित किया जाता है यदि कोई आयोग निर्माण किया जाता है तो निर्माण से पूर्व विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर से नियमानुसार अनुमति प्राप्त करनी होगी। तहसीलदार परताना का नोटिस जारी है। आदेश की प्रति उपनिबन्धक तहसीलदार को सूचनाार्थक प्रेषित की जायेगी। उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार अफिलेखानगर में संचित है।

बाली

पदाध्यक्ष

मुजफ्फरनगर

जिला न्यायाधिकारी (उप)
मुजफ्फरनगर